दिनांक 24.03.2025
प्रेस विज्ञप्ति 38/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना नॉलेज पार्क

- **पुलिस कार्यवाही में 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 23.03.2025 को थाना नॉलेज पार्क पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गुर्जरपुर रेलवे अण्डरपास के पास चेकिंग के दौरान बदमाश की घेराबंदी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त आकाश घायल हो गया गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना नॉलेज पार्क में पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, हरियाणा, दिल्ली प्रान्त के थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना नॉलेज पार्क पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आकाश निवासी ग्राम भूडाखेडा थाना चरथावल जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1–चोरी की 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस

जनपद कासगंज/थाना सहावर

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट की घटना का अनावरण**
- **लूट के 40 हजार 650 रूपये नगद मय बैग**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 23.03.2025 को थाना सहावर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर याकूतगंज से चांडी जाने वाले मार्ग पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त शिवकुमार घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूट के 40 हजार 650 रूपये नगद मय बैग, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 23.03.2025 को थाना सहावर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाश द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सहावर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपये उक्त घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सहावर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शिवकुमार निवासी बहावर की मढैया थाना जूनामई जनपद सम्भल।

बरामदगी

1–लूट के 40 हजार 650 रूपये नगद मय बैग।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस

जनपद आजमगढ़/थाना देवगांव

- **लूट/चोरी की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट/चोरी के 20 हजार 400 रूपये नगद**
- **चोरी के आभूषण आदि**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 24.03.2025 को थाना देवगांव पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कपसेठा चेवार रोड़ पर बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त दीपक कुमार घायल हो गया, जिसे अभियुक्त सुरेश कुमार सहित गिरफ्तार कर लूट/चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट/चोरी के 20 हजार 400 रूपये नगद, चोरी के आभूषण आदि, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 01.03.2025 को थाना देवगाँव क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना देवगाँव पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, आभूषण आदि लूट/चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके विरूद्ध जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 07-07 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना देवगाँव पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-दीपक कुमार निवासी अहमदगढ़ थाना झींझाना जनपद शामली।

2-सुरेश कुमार निवासी बिरालियन थाना झींझाना जनपद शामली।

बरामदगी

1–लूट/चोरी के 20 हजार 400 रूपये नगद।

2–चोरी के आभूषण आदि।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

4–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल।

मुजफ्फरनगर/थाना मंसूरपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 23/24.03.2025 की रात्रि थाना मंसूरपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बेगराजपुर अण्डर पास के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त कलीम घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुयी। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के लगभग 01 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना मंसूरपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–कलीम निवासी हर्रा थाना सरूरपुर जनपद मेरठ।

बरामदगी

1–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना लोनी बॉर्डर

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 10 मोटर साइकिल के कटे हुए चेचिंस व अन्य पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 24.03.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर दिल्ली सहारनपुर रोड पर चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1–शावेज 2–सुहेल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 10 मोटर साइकिल के कटे हुए चेचिंस व अन्य पुर्जे आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना लोनी बार्डर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शावेज निवासी इकराम नगर थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद।

2–सुहेल निवासी इकराम नगर थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद।

बरामदगी

1–10 मोटर साइकिल के कटे हुए चेचिंस व अन्य पुर्जे आदि।

जनपद जौनपुर/थाना मछलीशहर

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 06 मोटर साइकिल व 02 मोटर साइकिल के कटे हुए पार्टस आदि बरामद**

दिनांक 23.03.2025 को थाना मछलीशहर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर धर्मबीर बाबा, पुलिया के पास चेकिंग के दौरान अभियुक्त 1–सौरभ 2–धनन्जय 3–प्रकाश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के निशादेही पर अभियुक्त 4–शिवम उर्फ राजू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 06 मोटर साइकिल व 02 मोटर साइकिल के कटे हुए पार्टस आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना मछलीशहर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सौरभ निवासी मथुरा मतरी थाना मछलीशहर जनपद जौनपुर।

2—धनन्जय निवासी रामनगर थाना मछलीशहर जनपद जौनपुर।

3—प्रकाश निवासी ग्राम बेलवई थाना सुजानगंज जनपद जौनपुर।

4—शिवम उर्फ राजू निवासी फरीदाबाद थाना सुजानगंज जनपद जौनपुर।

बरामदगी

1—चोरी की 06 मोटर साइकिल व 02 मोटर साइकिल के कटे हुए पार्टस आदि।

एएनटीएफ/आपरेशनल यूनिट बरेली

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 34 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 03 किलो 488 ग्राम अवैध अफीम**
- **15 हजार 300 रूपये नगद**
- **01 मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 23.03.2025 को एएनटीएफ आपरेशनल यूनिट बरेली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सिरौली रोड पर ग्राम मऊचन्द्रपुर के पास थाना आंवला जनपद बरेली से अभियुक्त इस्लामअली को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 34 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 03 किलो 488 ग्राम अवैध अफीम, 15 हजार 300 रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना आंवाल जनपद बरेली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—इस्लामअली निवासी ग्राम मऊ चंदपुर थाना आंवला जनपद बरेली।

बरामदगी

1–लगभग 34 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 03 किलो 488 ग्राम अवैध अफीम।

2–15 हजार 300 रूपये नगद।

3–01 मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड।

4–01 मोटर साइकिल।

एएनटीएफ/आपरेशनल यूनिट मेरठ

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 33 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 67 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा**
- **नगद रूपये, 04 मोबाइल फोन, 03 आधार कार्ड**
- **01 चार पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 23.03.2025 को एएनटीएफ आपरेशनल यूनिट मेरठ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बृजघाट गढ़मुक्तेश्वर टोल के पास से 03 अभियुक्तों 1–सोनू 2–राहुल 3–बीरपाल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 33 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 67 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा, नगद रूपये, 04 मोबाइल फोन, 03 आधार कार्ड, 01 चार पहिया वाहन आदि बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सोनू निवासी ग्राम नारायणपुर वासका थाना कपूरपुर जनपद हापुड़।

2–राहुल निवासी ग्राम पवसरा थाना अगौता जनपद बुलन्दशहर।

3–बीरपाल निवासी ग्राम सरोठ थाना सादाबाद जनपद हाथरस।

<u>बरामदगी</u>

1–लगभग 33 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 67 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा।

2–नगद रूपये, 04 मोबाइल फोन, 03 आधार कार्ड।

3–01 चार पहिया वाहन आदि।

<u>जनपद बरेली/थाना फरीदपुर</u>

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **03 किलो 335 ग्राम अवैध अफीम आदि बरामद**

दिनांक 24.03.2025 को थाना फरीदपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सरकड़ा मोड़ के पास से 03 अभियुक्तों 1–हंसराज 2–विकास 3–अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 03 किलो 335 ग्राम अवैध अफीम आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना फरीदपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–हंसराज निवासी ग्राम बिहारीपुर थाना अलीगंज जनपद बरेली।

2–विकास निवासी ग्राम बिहारीपुर थाना अलीगंज जनपद बरेली।

3–अभियुक्ता।

<u>बरामदगी</u>

1–03 किलो 335 ग्राम अवैध अफीम आदि।

➢ **<u>जनपद आजमगढ़/थाना महराजगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना महराजगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सोनू को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद श्रावस्ती/थाना कोतवाली भिनगा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद श्रावस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद श्रावस्ती द्वारा थाना कोतवाली भिनगा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 4(1) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त साधूराम को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सोनभद्र/थाना अनपरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सोनभद्र द्वारा थाना अनपरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 354 भादवि व 9च/10 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त त्रिभुवन को 07 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

<u>एस0टी0एफ0–जनपद प्रतापगढ़ एवं भदोही से वांछित रूपये 50,000–50,000/–का पुरस्कार घोषित अभियुक्त जुनैद अहमद थाणे ग्रामीण (महाराश्ट्र) से गिरफ्तार।</u>

दिनांक 23–03–2025 को एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को थाना व जनपद भदोही में पंजीकृत मु0अ0सं0 215/24 धारा 103(1)/61(2)(a) भा0न्या0सं0 एवं थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 408/2024 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित तथा 50,000–50,000/–रूपये के पुरस्कार घोषित अभियुक्त जुनैद अहमद को थाणे ग्रामीण, महाराष्ट्र से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण</u>:-

जुनैद अहमद पुत्र आजाद अली निवासी ग्राम रामदेव पट्टी थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ हालपता– बी–274 जय महाराष्ट्र नगर झोपडपट्टी शेख मिसरी रोड वर्धराज नगर कोकरी आगर अंटाप हिल, मुम्बई महाराष्ट्र।

<u>गिरफ्तारी का स्थान/दिनांक व समय</u>

आसनगॉव रेलवे स्टेशन ईस्ट के बाहर शुभमंगल कार्यालय के सामने थाना क्षेत्र शहापुर जनपद थाणे ग्रामीण (महाराष्ट्र)। दिनांक 23–03–2025 समय 22.45 बजे।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाएँ कारित करने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री शैलेश प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ फील्ड इकाई, प्रयागराज के पर्यवेक्षण व निरीक्षक श्री जय प्रकाश राय एसटीएफ फील्ड इकाई, प्रयागराज के नेतृत्व में टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की गयी।

प्रयागराज टीम द्वारा जनपद भदोही व जनपद प्रतापगढ़ से वांछित एवं पुरस्कार घोषित अभियुक्त जुनैद अहमद की गिरफ्तारी हेतु अभिसूचना संकलन किया जा रहा था। इस दौरान ज्ञात हुआ कि अभियुक्त जुनैद अहमद महाराष्ट्र के जनपद थाणे ग्रामीण क्षेत्र में कहीं छिपकर रह रहा है। प्राप्त सूचना पर उपनिरीक्षक श्री विनय तिवारी, मुख्य आरक्षीगण साजित अली, अजय सिंह यादव, प्रवीण जायसवाल व मुख्य आरक्षी चालक रामलखन पाल की टीम द्वारा थाणे ग्रामीण, महाराष्ट्र पहुँचकर आसनगॉव रेलवे स्टेशन ईस्ट के बाहर शुभमंगल कार्यालय के सामने थाना क्षेत्र शाहपुर से अभियुक्त जुनैद अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि वह मूलरूप से ग्राम रामदेव पट्टी थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ का रहने वाला है जिसके विरूद्ध लूट, हत्या, हत्या का प्रयास व रंगदारी मांगने आदि से सम्बन्धित अभियोग जनपद प्रतापगढ़, बाराबंकी व भदोही में पंजीकृत है। उसके द्वारा वर्ष–2022 में अपने साथियों के साथ मिलकर रंगदारी मांगने व लूट आदि की घटनाएं की गयी थी जिसमें वह जेल गया था। जमानत पर रिहा होने के उपरान्त सूरत गुजरात चला गया और ट्रक चालक के साथ रहने लगा। वह अपने मुकदमें से सम्बन्धित तिथियों पर माननीय न्यायालय में आता जाता रहा जो सेशन कोर्ट प्रतापगढ़ में उपस्थित होने हेतु दिनांक 19.10.2024 को प्रतापगढ़ आया और अपने

साथी आमिर के यहॉ रूका था। आमिर ने बताया था कि कलीम के माध्यम से शिवकुटी प्रयागराज के रहने वाले सौरभ सिंह अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए 10 लाख रूपये की सुपारी दी है। जिसमे से 01 लाख रूपया एडवांस में दिया गया था। दिनांक 21.10.2024 को वह अपने साथी फरमूद के साथ बाइक से भदोही गया, जहॉ पर वह अपने साथियों के साथ मिलकर भदोही निवासी योगेन्द्र बहादुर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उक्त घटना के बाद से ही वह थाणे ग्रामीण, मुम्बई (महाराष्ट्र) में छिपकर रहने लगा।

गिरफ्तार अभियुक्त जुनैद अहमद उपरोक्त को थाना भदोही जनपद भदोही में पंजीकृत मु0अ0सं0 215/24 धारा 103(1)/61(2)(a) भा0न्या0सं0 में थाना क्षेत्र शहापुर जनपद थाणे ग्रामीण महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर थाना शहापुर में दाखिल किया गया तथा सम्बन्धित मा0 न्यायालय सिविल जज जे0एम0एफ0सी0 शहापुर थाणे ग्रामीण महाराष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत कर ट्रांजिट रिमाण्ड प्राप्त किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना भदोही, जनपद भदोही द्वारा अमल में लायी जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त जुनैद अहमद उपरोक्त का ज्ञात अपराधिक इतिहास निम्नवत है:

क0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	69/2017	308/323/504/506 भादवि	रानीगंज	प्रतापगढ़
2	495/2019	8/20 एनडीपीएस एक्ट	कोतवाली	प्रतापगढ़
3	635/2020	147/148/149/323/427 504/506 भादवि	रानीगंज	प्रतापगढ़
4	80/2021	147/148/149/302/307/504/506 भादवि	फतनपुर	प्रतापगढ़
5	347/2022	392 भादवि	रानीगंज	प्रतापगढ़
6	360/2022	386/507 भादवि	रानीगंज	प्रतापगढ़
7	1307/2022	307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट	कोतवाली	बाराबंकी
8	165/2023	323/325/504/506 भादवि	रानीगंज	प्रतापगढ़
9	215/2024	103(1)/61(2)(a) बी0एन0एस0 **(वांछित एवं पुरस्कार घोषित)**	भदोही	भदोही
10	408/2024	2/3 गैंगस्टर एक्ट **(वांछित एवं पुरस्कार घोषित)**	रानीगंज	प्रतापगढ़

————